

आदेश

अभियुक्त के जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि अदा की गई। तदनुसार प्रकरण निस्तारण किया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क.सं.4 इलाहाबाद।